भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *357**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबर मूल्य स्थिरीकरण कोष

***357. श्री राजमोहन उन्नीथन:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'रबर मूल्य स्थिरीकरण कोष' स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू रबर किसान, आयात में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण निरंतर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में रबर उत्पादक राज्यों के साथ कोई परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"रबर मूल्य स्थिरीकरण कोष" के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *357 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) से (घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक रबर का आयात 550,918 टन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 546,369 टन था, इस अवधि में कुल मिलाकर कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अप्रैल से जनवरी 2025-26 के दौरान प्राकृतिक रबर का आयात 399,535 टन रहा, जबकि 2024-25 की इसी अवधि में यह 485,666 टन था, जो 17.73% की गिरावट दर्शाता है। प्राकृतिक रबर की कीमतें खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। अप्रैल से जनवरी 2025-26 की अवधि के दौरान कोट्टायम, केरल में प्राकृतिक रबर (आरएसएस 4 ग्रेड) का औसत मूल्य 193.77 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए औसत मूल्य 170.77 रुपये प्रति किलोग्राम था।

सरकार ने प्राकृतिक रबर के आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से, शुष्क रबर के आयात पर शुल्क को "20% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2015 से "25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" कर दिया था। सरकार ने जनवरी 2015 में अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत आयातित शुष्क रबर के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। जनवरी 2016 में प्राकृतिक रबर के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाह को चेन्नई और न्हावा शेवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिश्रित रबर पर सीमा शुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, कर दिया गया था। वर्तमान में, वाणिज्य विभाग में रबर मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) भारत सरकार रबर बोर्ड के माध्यम से देश में प्राकृतिक रबर क्षेत्र के लाभ के लिए "प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास" योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, रबर बोर्ड प्राकृतिक रबर की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के अलावा, प्राकृतिक रबर की रोपाई/पुनर्रोपण, वर्षा से बचाव, बेहतर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम के लिए वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, बोर्ड द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
